न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 297/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1 भूराराम पुत्र धोकलाराम 2 मगाराम पुत्र धोकलाराम 3 श्रीमती जीयोदेवी पत्नी धोकलाराम जातियान भील निवासी गांव जाजवा आईजी, तहसील गिडा जिला बाडमेर		1– तिलाराम पुत्र पांचाराम 2– उम्मेदार पुत्र पांचाराम 3– ताजाराम पुत्र मुकनाराम 4– डुंगरराम पुत्र मुकनाराम 5– भीखाराम पुत्र मुकनाराम 6– दुर्गाराम पुत्र वैणाराम 7– बादली पत्नी मुकनाराम 8– लाधाराम पुत्र कनाराम 9– मोटाराम पुत्र धीराराम 10–सगताराम पुत्र गुलाराम 11–उतमाराम पुत्र गुलाराम 12–मथरीदेवी पत्नी गुलाराम 14–मोनाराम पुत्र बागाराम 15–चुतराराम पुत्र बाबुराम 16–लेहरोदेवी पत्नी बाबुराम 17–शंकराराम पुत्र पेमाराम सभी जाति भील निवासी ग्राम जाजवा आईजी तहसील गिडा जिला बाडमेर 18–गोमाराम पुत्र सांगाराम 19– जोगाराम पुत्र धीराराम 20–भगाराम पुत्र धीराराम 21–नखताराम पुत्र गुलाराम सभी जाति भील निवासी ग्राम जाजवा आईजी तहसील गिडा जिला बाडमेर 22–उप तहसीलदार गिडा 23–तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–15 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2015 अनवान तिलाराम वगैरा बनाम भूराराम वगैरा मे पारित कर मौजा एकलव्य नगर के म्युटेशन संख्या 20 पर उप तहसीलदार गिडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–2011 को अपास्त किया गया ।

राजस्व अपील संख्या 304/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1 भूराराम पुत्र धोकलाराम 2 मगाराम पुत्र धोकलाराम 3 श्रीमती जीयोदेवी पत्नी धोकलाराम जातियान भील निवासी गांव जाजवा आईजी, तहसील गिडा जिला बाडमेर		1– तिलाराम पुत्र पांचाराम 2– उम्मेदार पुत्र पांचाराम 3– ताजाराम पुत्र मुकनाराम 4– डुंगरराम पुत्र मुकनाराम 5– भीखाराम पुत्र मुकनाराम 6– दुर्गाराम पुत्र वैणाराम 7– बादली पत्नी मुकनाराम 8– लाधाराम पुत्र कनाराम 9– मोटाराम पुत्र धीराराम 10–सगताराम पुत्र गुलाराम

		11–उतमाराम पुत्र गुलाराम 12–मथरीदेवी पत्नी गुलाराम 14–मोनाराम पुत्र बागाराम 15–चुतराराम पुत्र बाबुराम 16–लेहरोदेवी पत्नी बाबुराम 17–शंकराराम पुत्र पेमाराम सभी जाति भील निवासी ग्राम जाजवा आईजी तहसील गिडा जिला बाडमेर 18–गोमाराम पुत्र सांगाराम 19– जोगाराम पुत्र धीराराम 20–भगाराम पुत्र धीराराम 21–नखताराम पुत्र गुलाराम सभी जाति भील निवासी ग्राम जाजवा आईजी तहसील गिडा जिला बाडमेर 22–उप तहसीलदार गिडा 23–तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–15 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 22/2015 अनवान तिलाराम वगैरा बनाम भूराराम वगैरा मे पारित कर मौजा जाजवा आईजी के म्युटेशन संख्या 91 पर उप तहसीलदार गिडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–2011 को अपास्त किया गया ।

उपस्थिति बहसः–

1– श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2–श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2, 3 एवं 10 की ओर से ।
3–शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 21 व 22 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–5–2018

उपरोक्त दोनो अपीलो मे एक समान विषयवस्तु एवं विवाद बिन्दु होने से उक्त दोनो अपीलो को एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है । निर्णय की मूल प्रति दोनो अपीलो मे नत्थी की जाये ।

उपरोक्त दोनो अपीलो का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलांटगण एवं रेस्पो. गण की संयुक्त खातेदारी की अपील मे वर्णित भूमि के संबंध मे वर्तमान अपीलांटगण ने अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने हेतु एक वाद संख्या 114/79 अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर बायतु के न्यायालय मे पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 17–1–1981 को होकर डिक्री पर्चा जारी होना बताया । उक्त वाद के संबंध मे जारी डिक्री पर्चा के आधार पर संयुक्त खातेदारी भूमि का रेकर्ड मे अमल दरामद नही होने वर्तमान अपीलांट भूराराम ने तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त वाद के निर्णय एवं डिक्री की पालना मे राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया । जिस पर पटवारी हल्का ने वाद संख्या 114/79 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–1–1981 के आधार पर म्युटेशन संख्या

क्रमशः 20 एवं 91 खोलकर तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया जिसे तहसीलदार बायतु ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–3–2011 द्वारा स्वीकार करने पर उक्त दोनो म्युटेशनो के विरूद्ध वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 17 ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2015 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत उक्त दोनो ही अपीले स्वीकार की जाकर मौजा एकलव्य नगर के म्युटेशन संख्या 20 एवं ग्राम जाजवा के म्युटेशन संख्या 91 पर पारित किया गया आदेश दिनांक 25–3–2011 को आपस्त करते हुए मामला तहसीलदार बायतु को सहायक कलेक्टर बायतु द्वारा पारित डिक्री की पालना या उक्त डिक्री का एक्जीक्युशन उसके पारित होने के 12 वर्ष बाद किया जा सकता है या नही, इस कानूनी प्रावधान को ध्यान मे रखते हुए पुनः उचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 26–5–2015 से व्यथित होकर वर्तमान दो अपीले म्युटेशन संख्या 20 के संबंध मे वर्तमान अपील संख्या 297/2017 तथा म्युटेशन संख्या 91 के संबंध मे म्युटेशन संख्या 304/2017 प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधि के विपरीत, मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड पर उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्यो व परिस्थितियो पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया,, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाट एवं रेस्पो0 के पूर्वजो ने राजीनामा न्यायालय मे पेश किया था जिसमे अपीलांट के पति/पिता स्व0 धोकला का विवादित आराजी मे 1/2 हिस्सा स्वीकार किया था इसलिए रेस्पो0 अब उक्त राजीनामे से एस्टोब्ड है इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 17 ने वाद संख्या 114/1989 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–1–1981 को किसी तरह की काई चुनौती नही दी है ऐसे मे वह निर्णय एवं डिक्री अंतिम हो चुका है जिसके आधार पर अपीलाधीन दोनो म्युटेशन स्वीकृत हुए थे जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु लेण्ड रेकर्ड रूल्स मे यह स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को उस डिक्री की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जायेगी परंतु वर्तमान मामले मे ऐसा कुछ नही हुआ इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त दोनो ही अपीलों को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 26–5–2015 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन दोनो म्युटेशन सख्या 20 व 91 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वर्तमान अपीलांटगण ने अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने हेतु एक वाद संख्या 114/79 अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर बायतु के न्यायालय मे पेश किया था जिसमे राजीनामे के आधार पर दिनांक 17–1–81 को निर्णित हुआ तथा डिक्री पर्चा जारी हुआ परंतु उक्त निर्णय एवं डिक्री का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद वर्ष 2011 तक नही कराया गया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के दौरान अवधि अधिनियम के आर्टिकल 136 के संबंध मे कथन किया कि उक्त आर्टिकल अनुसार किसी भी डिक्री की मयाद उसके फाईनल हो जाने के बाद से 12 वर्ष तक ही रहती है तथा उक्त 12 वर्ष समाप्त होते ही ऐसे निर्णय एवं डिक्री की मान्यता समाप्त हो जाती है । ऐसे मे वर्तमान मामले मे राजस्व वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–1–81 को पारित हुई थी जिसकी मान्यता 12 वर्ष तक अथार्त दिनांक 18–1–93 को समाप्त हो चुकी थी परंतु तहसीलदार बायतु ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन दोनो म्युटेशन संख्या 20 एवं 91 दिनांक 25–3–2011 को स्वीकृत किये होने से उक्त दोनो म्युटेशनो को निरस्त करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन दोनो म्युटेशन संख्या 20 व 91 तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलाधीन दोनो ही म्युटेशन संख्या क्रमशः 20 ग्राम एकलव्य नगर का तथा अन्य म्युटेशन संख्या 91 ग्राम जाजवा आईजी के सहयक कलेक्टर बाडमेर के निर्णय की पालना मे स्वीकृत किया जाना पाया जाता है तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार सहायक कलेक्टर बाडमेर के राजस्व वाद संख्या 114/79 अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट मे निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–1–81 को पारित किया गया था तथा उक्त डिक्री मे अपीलाधीन खसरा नंबरान का उल्लेख है परंतु उक्त निर्णय एवं डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही होने के कारण उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–1–81 की पालना एवं राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कराने हेतु अपीलांट भुराराम द्वारा तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का जाजवा से रिपोर्ट प्राप्त कर तहसीलदार बायतु ने उक्त दोनो म्युटेशन संख्या 20 एवं 91 को उप तहसीलदार गिडा द्वारा दिनांक 25–3–2011 को स्वीकृत किये गये है ।

उक्त दोनो म्युटेशनो पर पारित आदेश के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0गण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे मुख्य रूप से अवधि अधिनियम के आर्टिकल 136 को आधार मानकर उक्त आर्टिकल 136 मे दिये गये प्रावधान अनुसार किसी भी डिक्री की मयाद उसके फाईनल

हो जाने के बाद से 12 वर्ष तक ही मान्य रहती है तथा उक्त 12 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही ऐसे निर्णय एवं डिक्री की मान्यता समाप्त हो जाती है । वर्तमान मामले मे राजस्व वाद संख्या 114/79 जो कि सहायक कलेक्टर बाडमेर के समक्ष पेश किया गया था उसका निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–1–81 को पारित हुई थी तथा उक्त निर्णय एवं डिक्री की मान्यता 12 वर्ष तक अथार्त दिनांक 18–1–93 को समाप्त हो चुकी थी परंतु तहसीलदार बायतु ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन दोनो म्युटेशन संख्या 20 एवं 91 जो दिनांक 25–3–2011 को स्वीकृत किये गये थे, उक्त दोनो म्युटेशनो को निरस्त करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त दोनो म्युटेशनो को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बायतु को सहायक कलेक्टर बाडमेर के निर्णय एवं पारित डिक्री की पालना 12 वर्ष बाद की जा सकती है अथवा नही, इस कानूनी प्रावधानो के मध्यनजर नियमानुसार पुनः उचित आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है, जो विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 26–5–2015 को यथावत रखते हुए अपीलांट की उक्त दोनो अपीले खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 30–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर